

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 172]

भोपाल, रविवार दिनांक 17 मई 2020—वैशाख 27, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 मई 2020

क्र. एफ-बी-04-06-2020-2-पांच (31).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 80-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-04-03-2019-2-पांच (09), दिनांक 29 जून 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में अनुच्छेद एक के अन्तर्गत खण्ड (एक) के कॉलम दो "शीर्षक रजिस्ट्रीकरण तथा अन्य संबंधित फीस सारणी" में पूर्णविराम के स्थान पर कॉलन स्थापित किया जाए तथा उसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

परन्तु इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से 30 जून 2020 तक "बाजार मूल्य दिशा निर्देश" के आधार पर '3 प्रतिशत' के बजाय संगणित मूल्य का '2.5 प्रतिशत' प्रभार्य होगी.

जिन्होंने पूर्व में ही रजिस्ट्रेशन स्लोट ले लिया है और रजिस्ट्रेशन फीस का संदाय कर दिया है वे भी 2.5 प्रतिशत के लिये पात्र होंगे तथा आधिक्य की राशि का उन्हें प्रतिदाय किया जायेगा.

2. यह अधिसूचना "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त हुई मानी जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2020

क्र. एफ-बी-04-06-2020-2-पांच (31).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक, क्रमांक एफ-बी-04-06-2020-2-पांच (31), दिनांक 17 मई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 17th May 2020

No. B-04-06-2020-2-V (31).—In exercise of the powers conferred by Section 80-B of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government, hereby, makes the following amendment in department's notification No. B-4-03-2019-2-Five (09), dated 29th June 2019, namely:—

AMENDMENT

In the said notification in the table of registration and other related fees, in Article I, against clause (i), in column (2), for the full stop the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that from the date of publication of this notification in the official Gazette, till 30th June, 2020 instead of 3 percent only 2.5 percent of the value calculated on the basis of “Market Value Guideline” shall be chargeable.

Those who have already taken slot for registration and registration fees has been paid shall also be eligible for 2.5 percent and excess amount shall be refunded.”.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the “Madhya Pradesh Gazette”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.